

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जमवारा
जयपुर

शशिकान्त व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य
प्रार्थना पत्र संख्या 108 / 2021

19-08-2021 प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री किशन लाल बैरवा ने प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। अन्तरिम आदेश हेतु प्राथीगण के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली, जमाबन्दी, का अवलोकन करने तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्राथीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम भानपुर कलां पटवार हल्का भानपुर कलां तहसील जमवारामगढ में स्थित खसरा नं. 238, 239/1, 239/3, 567, 675 कुल किता 5 कुल रकबा 3.0981 हैक्टेयर में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें, किसी प्रकार से बैचान हस्तांतरण नहीं करें, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करें, किसी प्रकार से रहन, बिरवी, बख्शीश, दान, इत्यादि नहीं करें, मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त कार्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट से करवाये। उक्त आदेश पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी को पेश करें। पत्रावली दिनांक 19.10.21 को पेश हो।

OMP

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

20/10/21

दिनांक 19/10/21 का फैसला
होगा कि पत्रावली काजा पेश हुई
दकील प्रार्थी उपपुर्षाबुल
पत्रावली काजा भानपुरकला दिनांक
24/11/21 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

24/11/21

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प... में पेश हुई। उभय पक्षों में सहगति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/11/21 को पेश हो।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

21/12/21

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा कम्प्लेस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/12/21 को पेश हुई।

24/1/22

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा कम्प्लेस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/1/22 को पेश हुई।

15/4/22

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रचोदक पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलेबी/जवाब दिनांक 21/6/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

21/6/22

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा कम्प्लेस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/6/22 को पेश हुई।

1/8/22

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा कम्प्लेस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1/8/22 को पेश हुई।

17/10/22

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रचोदक पत्रावली को मजलुकेका विभाग मजलुकेका कले पर पाला कि

फद अहकाम

शशिकान्त बनाम भागी

उपाखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

108121

आज्ञा या पंखाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>राज्यालयी न वकील प्राप्ति होय, आदिनाथ नके मोहितान जातल वलव हेतु फेर नही कियो। वकील प्राप्ति कते कइ आधार दिव गय। वकील प्राप्ति होय नभाल। के आदेश की पालन नही कते पर दावे के अधिकार सुरक्षित रखत इत प्रकार के आदेश उचित 5 ए. पी. सी. के अंतर्गत खास किस पत्राईय पत्रावली के मल शुभ होकर नकर ल कल है, काइ शक्ति होकर आदिनाथ है।</p>	



उपाखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर